

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर
पीठारीन अधिकारी -श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

निर्णय

दिनांक 22.04.2022

राजस्व आवेदन :- 162/2021 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :-

प्रार्थी:-

1.रामलाल पुत्र बाबू, जाति विश्नोई
निवासी उपरला, तहसील चौहटन
जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण:-

- 1.खरथाराम 2.उदाराम पि.गुटाराम 3.भेराराम पुत्र बादराराम
- 4.प्रहलादराम पुत्र मालाराम के का.मु. :-
4/1.भैराराम, 4/2. गोरधनराम पि. प्रहलादराम
- 5.लाखाराम पुत्र मालाराम
- 6.कबीराराम पुत्र धर्मराम फौत के का.मु. :-
6/1.लालाराम पुत्र कबीरा 6/2.खुमाराम पुत्र मोटाराम
6/3.ओमाराम पुत्र मोटाराम 6/4.झमूदेवी पत्नि मोटाराम
(विप्रार्थी सं. 6/2 व 6/3 नाबालिंग जरिए कुदरती वलिया
माता विप्रार्थी सं. 6/4)
- 7.लिखमाराम पुत्र पूनमाराम के का.मु. :-
7/1.गोमाराम पुत्र लिखमाराम
- 8.धारूराम पुत्र पूनमाराम, जातियान मेघवाल
- 9.पूनमाराम 10.भाखराराम 11.रामचन्द्र पि.हरसिंगाराम
- 12.किशनाराम 13.भगवानाराम पि.कानाराम, जाति विश्नोई
निवासी उपरला, तहसील चौहटन
- 14.तहसीलदार चौहटन 15.एसबीआई शाखा चौहटन।



वकील प्रार्थी :- श्री रामजीवन विश्नोई
वकील विप्रार्थी :- श्री नरेश धारीवाल




उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थी रामलाल पुत्र बाबू, जाति विश्नोई, निवासी उपरला, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा उपरला, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 64 रकबा 216.02 बीघा स्थित है। जिस पर उसके रहवास हेतु ढाणिया, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए हैं। प्रार्थी की उक्त जोत पर आने जाने के लिए मौजा उपरला में विप्रार्थी सं. 1 से 8 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा सं. 84 रकबा 75.05 बीघा, विप्रार्थी सं. 9 से 11 के खेत खसरा सं. 83 रकबा 46.10 बीघा एवं विप्रार्थी सं. 12 से 13 के खेत खसरा सं. 537/82 रकबा 11.02 बीघा भूमि में से चल कर मुख्य सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते हैं। जिससे प्रार्थीगण अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण के खेत मौजा उपरला में विप्रार्थी सं. 1 से 8 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा सं. 84 रकबा 75.05 बीघा, विप्रार्थी सं. 9 से 11 के खेत खसरा सं. 83 रकबा 46.10 बीघा एवं विप्रार्थी सं. 12 से 13 के खेत खसरा सं. 537/82 रकबा 11.02 बीघा में से रास्ता दिया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 5, 6/1, 6/2, 6/4, 7/1, 8 व 11 की ओर से अधिवक्ता नरेश धारीवाल ने वकालतनामा पेश किया। विप्रार्थी सं. 9, 10, 12 व 13 के नोटिस रजि.एडी से जारी किये। विप्रार्थी सं. 14 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त।

वकील प्रार्थी ने चाहे गये रास्ते के संबध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिसे स्वीकार तहसीलदार चौहटन को मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 5, 6/1, 6/2, 6/4, 7/1, 8 व 11 के वकील उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 9, 10, 12 व 13 के नोटिस रजि.एडी से जारी किये पर्याप्त समय होने से उनकी तलबी पूर्ण मानी गई, उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः विप्रार्थी सं. 9, 10, 12 व 13 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी सं. 1 से 5, 6/1, 6/2, 6/4, 7/1, 8 व 11 के वकील जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। अतः जवाब का अवसर बन्द किया गया। विप्रार्थी सं. 11 रामचन्द्र पुत्र हरसिंगाराम की ओर से उनके वकील ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा हमारे संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं. 83 रकबा 46.20 बीघा भूमि मौजा उपरला में से रास्ता चाहा है उक्त खसरे में से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा मेरे व्यक्तिगत हिस्से से देने हेतु राजी हूँ अतः खसरा सं. 83 में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा मेरे हिस्से से कम किया जावे।




 उपखण्ड अधिकारी
 चौहटन

उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई उसी अनुसार रास्ते के आदेश किया जावे। वकील विप्रार्थी ने तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश मौका रिपोर्ट स्वीकार की। तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंगन दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतीत होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	84	75.05	बा.सो.	20 फीट	01.12	उपरला	उदाराम पुत्र गुटाराम बगैरा
2	83	46.10	बा.सो.	20 फीट	01.05	उपरला	पूनमाराम पुत्र हरसिंगाराम बगैरा



प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंगन आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा नं. 84 एवं 83 के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है उक्त रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित नए मार्ग में तहसीलदार चौहटन की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं. 83 में एक पेड़ खेजड़ी का आया हुआ है। जिसका नियमानुसार निस्तारण करने के पश्चात् उक्त रास्ता की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे तथा मौजा उपरला के खसरा सं. 83 रकबा 46.10 बीघा भूमि में से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा विप्रार्थी सं. 11 रामचन्द्र पुत्र हरसिंगाराम जाति विश्णोई के व्यक्तिगत हिस्से में से कम किया जावे।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से

उपखण्ड अधिकारी
 चौहटन

प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में एक पेड़ खेजड़ी का है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि एवं तहसीलदार द्वारा बताये गये उक्त पेड़ों की क्षतिपूर्ति नियमानुसार देय होगी और प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :-



तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरो में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।
7. तहसीलदार चौहटन द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में बताये गये पेड़ों का नियमानुसार निस्तारण करने के पश्चात् ही उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 22.04.2022 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दफ़तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।




(भागीरथ राम II)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

जम्हाला ग्राम झरला

दिनांक 11-10-2021




EX-COUNT



(2)

असुरक्षित अधिकारी
कोठार

राजस्व अधिकारिने दिनांक 16/11/2021 ई. रामलालचवाम
 खानदादाजी व मोरम शिवाजीराता श्री लक्ष्मी
 बरंगलाल (→) मोरमपट हें घातक दिव्याण जाक
 हातावरुण असुरक्षित निशात कदवायेगी

राजकीय प्रयोजनार्थ निःशुल्क जारी


 23/3/22
 RA 618


 जिल्हा निर्यात
 (अ.प्र.स.स.) कोठार

 तहसीलदार चौकट

Received
Chavan

गोमाराज



गोमाराज

गोमाराज



गोमाराज

गोमाराज

गोमाराज
गोमाराज

गोमाराज